भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *298

दिनांक 05 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

महिलाओं का अशिष्ट रुपण

***298. श्री पी.आर. नटराजनः**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महिलाओं का अशिष्ट रुपण या जिक्र वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष में से प्रत्येक वर्ष के दौरान स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज मामलों की संख्या/अपराधियों की संख्या श्रेणी-वार कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में दंडित अपराधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और अपराध-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई को बढ़ाने के लिए उक्त अधिनियम में और संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ड.) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

'महिलाओं का अशिष्ट रुपण' के संबंध में श्री पी.आर. नटराजन द्वारा दिनांक 05 अगस्त, 2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 298 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ड.) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) महिलाओं के प्रति अपराध संबंधी आंकड़े प्रकाशित करता है, जो वर्ष 2020 तक उपलब्ध हैं। 'महिलाओं का अश्लील रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (आईआरडब्ल्यूए)' के संबंध में एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से गिरावट से रूझान का पता चलता है। आईआरडब्ल्यूए के तहत 2019 में पंजीकृत मामलों की संख्या 24 थी, जबकि वर्ष 2020 में यह संख्या 12 है। वर्ष 2017-2020 के दौरान महिलाओं का अश्लील रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के तहत पंजीकृत मामलों और दोषसिद्ध व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। श्रेणी-वार और अपराध-वार विवरण नहीं रखे जाते हैं।

इसके अलावा, पुलिस और कानून व्यवस्था भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं और अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन की जिम्मेदारी राज्यों की है। तथापि, केंद्र सरकार ने इस दिशा में और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करने के लिए भी विभिन्न विधायी और योजनागत उपाय किए हैं।

महिलाओं का अश्लील रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के अलावा, प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया में महिलाओं के अश्लील रुपण को विभिन्न अन्य अधिनियमों और नियमावलियों/दिशानिर्देशों के तहत विनियमित किया जाता है जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860, सिनिमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 और सिनेमेटोग्राफी (प्रमाणन) नियमावली, 1983 और फिल्मों में अश्लीता पर रोक लगाने के लिए इसके तहत जारी किए गए दिशानिर्देश, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978, केबल टेलिविज़न नैटवर्क नियमावली, 1994 के तहत निर्धारित 'कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता', भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के विज्ञापन में स्व-विनियमन के लिए संहिता, प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद द्वारा सामग्री प्रमाणन संहिता; न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन (एएनबीए) द्वारा स्व-विनियमन के दिशानिर्देश। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का अधिनियमन भी डिजिटल/ ऑनलाइन मीडिया (ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई फिल्में और श्रृव्य-दृश्य कार्यक्रम तथा ऑनलाइन प्लेफार्मों पर समाचार और करंट अफेयर्स की सामग्री) सहित इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में महिलाओं के अश्लील रुपण को कवर करता है।

देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए इको सिस्टम प्रदान करने के लिए सरकार ने समन्वित और व्यापक तरीके से गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी) का गठन किया है। गृह मंत्रालय ने (एमएचए) 'महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' नामक एक स्कीम कार्यान्वित की है, जिसके तहत एक ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) गठित किया गया है ताकि लोग बाल पोर्नोग्राफी/बाल यौन शोषण सामग्री, बलात्कार/सामूहिक बलात्कार को दर्शाने वाले चित्रों या यौनपरक सामग्री से संबंधित शिकायतों का दर्ज करा सकें। यह पोर्टल साइबर अपराध की शिकायतों को ऑनलाइन देखने और उपयुक्त कदम उठाने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है।

हाल ही में, आईटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 यह निर्दिष्ट करती है कि मध्यवर्ती कम्प्यूटर के प्रयोक्ताओं को यह सूचित करेंगे कि वे किसी ऐसी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, पारेषित, अपडेट या साझा न करें, जो अन्य बातों के साथ किसी भी तरह से अश्लील, पोर्नोग्राफिक,

पीडोफिलीक है, नाबालिग लोगों को नुकसान पहुंचाती है या उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन करती है; आदि।

इसके अलावा, व्यापक और समन्वित ढंग से साइबर अपराध से निपटने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने, अलर्ट/एडवाइजरी जारी करने, कानून प्रवर्तन कार्मिकों/अभियोजकों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण, साइबर फॉरैंसिक सुविधाओं में सुधार आदि के लिए कदम उठाए हैं।

इन कदमों से ऐसे अपराधों को रोकने तथा जांच की गति बढ़ाने में मदद मिलती है और सामूहिक रूप से एक मजबूत प्रणाली का गठन हुआ है, जिसका उद्देश्य किसी मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से महिलाओं के अश्लील रुपण की रोकथाम सहित महिलाओं के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस का सुनिश्चय करना है। इसलिए, बहुलता से बचने और मौजूदा इको सिस्टम के सुचारु कामकाज का सुनिश्चय करने के लिए आईआरडब्ल्यूए में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****

अनुलग्नक

'महिलाओं का अशिष्ट रुपण' के संबंध में श्री पी.आर. नटराजन द्वारा दिनांक 05.08.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 298 के उत्तर के भाग(क) और (ढ.) से संदर्भित अनुलग्नक

2017-2020 के दौरान महिलाओं का अश्लील रुपण(प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के तहत पंजीकृत मामलों(सीआर) और दोषसिद्ध व्यक्तियों(पीसीवी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2017		2018		2019		2020	
		सीआर	पीसीवी	सीआर	पीसीवी	सीआर	पीसीवी	सीआर	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	2	0	0	0	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	0	0	0	0	1	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	0	1	0	0	0	0	0
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0	0	0	0	0	0	2	0
8	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	0
10	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
11	कर्नाटक	1	0	1	0	0	0	1	0
12	केरल	4	1	1	2	7	0	3	12
13	मध्य प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	0
14	महाराष्ट्र	0	0	1	0	0	0	0	0
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	2	0	3	0	6	0	3	0
20	पंजाब	4	0	1	0	1	0	0	0
21	राजस्थान	6	12	7	7	5	6	0	3
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	2	0	4	0	2	0	3	0
24	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	0	0	3	0	1	0	0	0
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	1	0	0	0
	कुल राज्य	**24**	**13**	**22**	**9**	**24**	**6**	**12**	**15**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	1	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव+	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	1	0	0	0	0	1	0	0
33	जम्मू और कश्मीर*	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लद्दाख							0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुद्दुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	1	0	0	1	**0**	**1**	**0**	**0**
	कुल (अखिल भारत)	**25**	**13**	**22**	**10**	**24**	**7**	**12**	**15**

+ तत्कालीन दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन व दीव संघ शासित क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े।

* वर्ष 2019 तक के लिए लद्दाख सहित